AC-II हंसराजलाल बनाम गोपीराम वगैरा

T.No - 79/2014

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक व वकील अनावेदक वास्ते पत्र 7 पर वकील आवेदक की तरफ वास्ते 7.1 सुनी जाकर पत्रावली का गए दस्तावेजात व मुलवाद अवलोकन किया गया। मुलवाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है मुलवाद का निस्तारण तकरीबात वादी की जाकर, साक्ष्य उपरांत दस्तावेजात के आधार पर तै जाकर पर किया जाना उचित समझते है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वादग्रस्त आराजी को यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 7.1 स्वीकार किया जाकर अग्रिम अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का हुक्म किया जाता है व अप्रार्थीगण को तर्फैसला मुलवाद पाबंद किया जाता है की वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 698, रकबा 0.0100 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकला मु०व० नि० ~~क्षेत्र~~ बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर ~~स्थित में प्रार्थी के हिस्से तक मौके व~~ राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर डर्ज नंबर ~~से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो~~ निर्णय आज दिनांक 24/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय